R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड IV ◆ अंक 5
नवम्बर 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए *योग्य और समुचित* मानदण्ड

रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहयोगी बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने व्यक्तियों द्वारा पूरा किए जानेवाले विशिष्ट *योग्य और समुचित* मानदण्ड निर्धारित किया है। *योग्य और समुचित* स्थिति आदि निर्धारित करने के लिए प्राधिकार, तरीके/प्रक्रिया और मानदण्ड निम्नप्रकार हैं -

नामांकन

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों/भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे निदेशक बोर्ड में से न्यूनतम तीन निदेशकों वाली (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) एक *नामांकन समिति* का गठन करे। निदेशक बोर्ड अपने में से किसी एक को उक्त नामांकन समिति का अध्यक्ष नामित करें। अपेक्षित कोरम अध्यक्ष सहित तीन है। पहले से नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति में निदेशक बोर्ड आगे होनेवाली बैठकों के लिए उसके बदले किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसका कार्यकाल भी निर्धारित करे।

प्रक्रिया

नामांकन समिति वर्तमान निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की *योग्य और समुचित* स्थिति का निर्धारण करने के लिए उचित सावधानी के साथ एक प्रक्रिया शुरू करे। इस प्रयोजन के लिए बैंक विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/व्यक्तियों से आवश्यक सूचना और घोषणा प्राप्त करें जो निर्वाचन के लिए अपना नामांकन दाखिल करते हैं। यह नामांकन समिति नामांकनों को स्वीकार करने की अंतिम तारीख के पहले एक बैठक करे और यह निश्चित करे कि व्यक्ति की उम्मीदवारी दिए गए मानदण्डों के आधार पर स्वीकार की जाए अथवा नहीं। समिति में की गई चर्चाएं बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में समुचित ढंग से दर्ज की जाएं और यदि मतदान होता है तो उसे भी विद्यमान और प्रस्तावित निदेशक दोनों के मामले में नोट किया जाए। हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध सूचना के आधार पर नामांकन समिति स्वीकृति पर अथवा उम्मीदवार के बारे में अन्य प्रकार से निर्णय ले। नामांकन समिति जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को उनके द्वारा अपेक्षाओं का पालन किए जानेवाले संदर्भों का हवाला दे सकती है।

मानदण्ड

नामांकन समिति नीचे उल्लिखित बोर्ड के लिए मानदण्डों के आधार पर विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/प्रस्तावित उम्मीदवारों की *योग्य और समुचित* स्थिति निर्धारित करे:

- शैक्षिक अहर्ता
- अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र
- पिछला कार्यनिष्पादन रिपोर्ट और कर्तव्यनिष्ठा

(यह सूची केवल उद्धरण है और व्यापक नहीं है।)

नामांकन समिति यह देखे कि क्या उपर्युक्त किसी मानदण्ड का पालन नहीं किये जाने से विद्यमान निर्वाचित निदेशक/प्रस्तावित सदस्य को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहण करने में कोई बाधा उत्पन्न होगी। तथापि, किसी प्राधिकारी/विनियामक एजेंसी द्वारा कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से शोधक्षम नहीं होने अथवा किसी ऋण की चूक से बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए उम्मीदवार को अयोग्य और अनुचित माना जाएगा।

अन्य बातें

जनहित में बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचित निदेशक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को डॉ. गांगुली कार्यदल द्वारा अनुशंसित प्रसंविदा विलेख निष्पादित करें।

सभी निर्वाचित निदेशक अधिदेशात्मक रूप से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए *योग्य और समुचित* मानदण्ड	1
आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि	2
निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं	2
बैंकों की वित्त संविभाग परियोजना	2
बैंकों को पूंजी जुटाने हेतु अन्य विकल्प	2
फेमा	
पण्य बचाव व्यवस्था	2
आयात बिलों/ दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति की सीमा बढ़ाई गई	3
रुपया वोस्ट्रो खातों में व्यवहार के लिए इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म	3
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रांची में उप-कार्यालय शुरू किया	2
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय शिक्षण साईट शुरू किया	3
ग्राहक सेवा	
नियुक्त किए गए अभिभावक अपंग व्यक्तियों के बैंक खाते संचालित कर सकते हैं	3
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा : मुख्य-मुख्य बातें	4

होता है तो निदेशक शीघ्र अपेक्षित ब्योरे प्रस्तुत करें। यदि कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो नामांकन समिति उचित सावधानी बरतते हुए निदेशक की *योग्य और समुचित* स्थिति की नए ढंग से जाँच करे।

राष्ट्रीयकृत बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे शीघ्र अपने बोर्ड में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों के संबंध में *योग्य और समुचित* स्थिति को निर्धारित करने की प्रक्रिया पूरी करें।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि

वर्तमान चलनिधि परिस्थिति की समीक्षा करने पर अनुसूचित बैंकों की आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 10 नवंबर 2007 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से उनकी मांग और मीयादी देयताओं के 50 आधार बिन्दुओं से बढ़ाते हुए 7.50 प्रतिशत किया गया है।

निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं

रिज़र्व बैंक ने जमाराशियों पर अदा किए जानेवाले ब्याज पर अपने पूर्व अनुदेशों को दोहराते हुए बैंकों को सूचित किया कि एक ही तारीख को मंजूर तथा एक ही परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों पर अदा किए जानेवाले ब्याज के मामले में किसी भी बैंक को कोई विभेद नहीं करना चाहिए, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गई हो या बैंक के अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गई हो। तथापि, किसी भी मात्रा की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतर तथा ब्याज की निश्चित दरें प्रस्तावित करनेवाली निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मीयादी जमा योजनाओं तथा 15 लाख रुपये और उससे अधिक राशि की एकल मीयादी जमाराशियों के संबंध में, जिनपर जमाराशियों की मात्रा के आधार पर ब्याज की विभिन्न दरों के लिए अनुमति दी जाती है, इन अनुदेशों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

रिज़र्व बैंक ने उन बैंकों को आगे सूचित किया है कि जिसने निश्चित अवरुद्धता अवधि में संदर्भित विशेषताओं वाली विशेष जमा योजनाएं प्रवर्तित की हैं वे उन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को भेजें।

रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी विशेषताएं निम्नप्रकार हैं :

- 6 से 12 महीने तक की विस्तारित सीमा वाली निश्चित अवरुद्धता अवधि।
- निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की अनुमति नहीं होती है। अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इन जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरें, सामान्य जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरों के अनुरूप नहीं हैं।
- कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के अधीन आंशिक रूप से समयपूर्व भुगतान की अनुमति देते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रांची में उप-कार्यालय शुरू किया

रांची में रिज़र्व बैंक की उप-कार्यालय ने 15 नवंबर 2007 से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस उप-कार्यालय में जिसका उद्घाटन झारखण्ड के माननीय मुख्य मंत्री, श्री मधु कोडा द्वारा किया गया, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग और वित्तीय समावेशन कक्ष हैं और यह उप-कार्यालय झारखण्ड राज्य के लिए काम करेगा।

इस कार्यालय का पता और संपर्क ब्योरा है - आर आर डी ए भवन, प्रगति सदन (चौथी मंज़िल), कचहरी रोड, रांची-834001, टेलीफोन सं.0651-2210509, फैक्स सं. 0651-2210511

बैंकों की वित्त संविभाग परियोजना

परियोजनाओं का वित्तपोषण करते समय प्रवर्तक की ईक्विटी के स्तर का निर्धारण करने के लिए बैंक सामान्यतः निम्नलिखित में से कोई एक पद्धति अपनाते हैं:

i) बैंक द्वारा अपनी प्रतिबद्ध राशि का वितरण प्रारंभ करने से पूर्व प्रवर्तक अपना संपूर्ण अंशदान सामने लाते हैं।

ii) प्रवर्तक अपनी ईक्विटी का कुछ प्रतिशत (40 प्रतिशत-50 प्रतिशत) पहले देते हैं और शेष चरणबद्ध रूप से दिया जाता है।

iii) प्रवर्तक प्रारंभ से ही इस बात के लिए सहमत होते हैं कि वे बैंकों द्वारा ऋण के हिस्से के वित्तपोषण के अनुपात में ईक्विटी निधि लाएंगे।

यह पाया गया है कि अंतिम पद्धति में ईक्विटी निधीयन जोखिम अधिक है। इस जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे ऋण ईक्विटी अनुपात (डीईआर) के संबंध में स्पष्ट नीति अपनाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी/निधियों की वृद्धि इस प्रकार होनी चाहिए जिससे डीईआर का निर्धारित स्तर सभी समय बना रहे। इसके अलावा, बैंकों को क्रमवार निधीयन अपनाना चाहिए ताकि बैंकों द्वारा ईक्विटी के निधीयन की संभावना से बचा जा सके।

बैंकों को पूंजी जुटाने हेतु अन्य विकल्प

टीयर I तथा उच्चतर टीयर II की पूंजी जुटाने के लिए भारतीय बैंकों को लिखतों के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंकों को अब विद्यमान विधिक उपबंधों के अधीन भारतीय रुपयों में निम्नलिखित प्रकार के अधिमान शेयर जारी करने के लिए अनुमति दी गई है:

टीयर I पूंजी

बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयर

उच्चतर टीयर II पूंजी

i) बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर

ii) प्रतिदेय असंचयी अधिमान शेयर

iii) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर

बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों को ईक्विटी के समान समझा जाएगा और अतः इन लिखतों पर देय कूपन को लाभांश (लाभ-हानि लेखे में विनियोजन) समझा जाएगा। उपर्युक्त अन्य सभी प्रकार के अधिमान शेयरों को देयताएं माना जाएगाा तथा उन पर देय कूपन को ब्याज (लाभ-हानि लेखे में प्रभारित) के रूप में लिया जाएगाा।

उपर्युक्त लिखतों को शामिल करने से यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी पर्याप्ता के प्रयोजनों के लिए बैंकों को उपलब्ध पात्र लिखतों के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतःइस समय विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अधिमान शेयर जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति देना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है।

फेमा

पण्य बचाव व्यवस्था

यह निर्णय लिया गया है कि देशी तेल विपणन और परिष्करण कंपनियों को पिछले तिमाही के पूर्व की तिमाही की मात्रा के आधार पर उनके स्टॉक के 50 प्रतिशत तक उनके पण्य मूल्य जोखिम के बचाव व्यवस्था की अुनमति दी जाए। बचाव व्यवस्था उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से की जाए जिसे रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत किया है। बचाव व्यवस्था, ओवर दि काउंटर/विदेश में मंडियों में व्यापारित डेरिवेटिव्स, जिनकी अधिकतम अवधि एक वर्ष वायदा तक सीमित है, का प्रयोग करके किया जाए। इस संबंध में अनुदेश निम्नप्रकार है -

- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने निवेश की बचाव व्यवस्था करनेवाली कंपनियों के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं जो समग्र रूपरेखा, जिसके भीतर डेरिवेटिव्स कार्यकलाप किए जाने हैं और शामिल जोखिम को परिभाषित करती है।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस सुविधा को यह सुनिश्चित करने के बाद ही अनुमोदित करें कि विशिष्ट कार्यकलाप के लिए (अर्थात् माल के बचाव व्यवस्था) और ओवर-दि-काउंटर बाज़ार में कारोबार के लिए भी विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
- बोर्ड का अनुमोदन स्पष्ट रूप से मार्क्ड-टु-मार्केट नीति, ओवर-दि-काउंटर डेरिवेटिव्स के लिए अनुमत प्रतिपक्ष, आदि को अवश्य शामिल करता हो।
- कंपनियां छमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष ओवर-दि-काउंटर लेनदेनों की सूची अवश्य प्रस्तुत करें जो इस योजना के तहत बचाव व्यवस्था की सुविधा को जारी रखने की अनुमति प्रदान करने के पहले प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किए गए हों।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ग्राहक के बचाव व्यवस्था कार्यकलाप के *उपयोगकर्ता की अनुकूलता* और *उपयुक्तता* के संबंध में पर्याप्त कर्मनिष्ठता का अनुपालन करना चाहिए।

इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को प्रत्यायोजित अधिकार के तहत कवर न किए गए बचाव व्यवस्था लेनदेन करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त आवेदन, अनुमोदन के लिए पहले की तरह रिज़र्व बैंक को भेजना जारी रखना चाहिए।

आयात बिलों/ दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति की सीमा बढ़ाई गई

एक क्षेत्र विशेष उपाय के रूप में, कच्चे हीरों के आयात के मामले में, आयात बिल/दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति की सीमा को 100,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 300,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को 300,000 अमरीकी डॉलर तक के आयात के प्रेषण की अनुमति दी जाती है, जहां कच्चे हीरों के आयातक ने विदेशी आपूर्तिकर्ता से सीधे आयात बिल/दस्तावेज प्राप्त किया है तथा आयातक द्वारा आयात के दस्तावेज़ी सबूत प्रेषण के समय प्रस्तुत किए जाते है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे लेनदेन कर सकते हैं:

(i) आयात प्रचलित विदेशी व्यापार नीति के अधीन है।

(ii) लेनदेन उनके वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित है और वे लेनदेन की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट हैं।

(iii) अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) और पर्याप्त कर्मिष्ठता का पालन किया गया है तथा आयातक, ग्राहक की वित्तीय स्थिति/ हैसियत और पिछले कार्यनिष्पादन से पूरी तरह संतुष्ट है। यह सुविधा प्रदान करने से पहले बैंकों को विदेशी बैंकर अथवा विदेशी ख्याति प्राप्त साख एजेंसी से प्रत्येक विदेशी आपूर्तिकर्ता के संबंध में रिपोर्ट भी प्राप्त करनी चाहिए।

रुपया वोस्ट्रो खातों में व्यवहार के लिए इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म

रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि शेयर बाजारों अथवा भारत के बाहर स्थित बैंकों द्वारा उनके पास रखे जा रहे रुपया वोस्ट्रो खातों पर इंटरनेट आधारित परिचालनों की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते वे यह सुनिश्चित करें कि सॉफ्टवेयर किसी भी अनाधिकृत परिचालन की रोकथाम कर लेगा। वोस्ट्रो खातों पर इंटरनेट आधारित परिचालनों को निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जा सकती है :

(i) डाटा की गोपनीयता, गुप्तता और अक्षतता के लिए बैंक उत्तरदायी रहेंगे।

(ii) भारत में वोस्ट्रो खाते रखने /परिचालित करने के संबंध में जारी फेमा नियमों/विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(iii) प्रतिनिधि बैंकिंग/शेयर बाजारों के संबंध में *अपने ग्राहक को जानिए* तथा धनशोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

ग्राहक सेवा

नियुक्त किए गए अभिभावक अपंग व्यक्तियों के बैंक खाते संचालित कर सकते हैं

बैंकों को सूचित किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जिला न्यायालयों द्वारा अथवा मूक, मेरूदण्डीय पक्षाघात, मानसीक अपंगता और बहुविध अपंग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रिय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय समितियों द्वारा नियुक्त किए गए अभिभावक उक्त अनिधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपंग व्यक्तियों के बैंक खाते परिचालित कर सकते हैं।

बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनकी शाखाएं अपंग व्यक्तियों के माता-पिता/रिश्तेदारों को उचित मार्गदर्शन दें ताकि उन्हें इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय शिक्षण साईट शुरू किया

बाल दिवस की स्मृति में रिज़र्व बैंक ने 14 नवंबर 2007 को वित्तीय शिक्षण साईट शुरू किया। बच्चों के विभिन्न उम्र समूहों को बैंकिंग, वित्त और केंद्रीय बैंकिंग के मौलिक स्वरूप की शिक्षा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ यह साईट जल्दी ही महिला, ग्रामीण और शहरी निर्धनों, सुरक्षा कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे अन्य लक्ष्य समूहों को उपयोगी सूचना भी देगी।

बच्चों को आसान और रोचक तरीके से बैंकिंग, वित्त और केंद्रीय बैंकिंग की जटिलताएं स्पष्ट करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कॉमिक पुस्तिका फार्मेट का उपयोग किया गया है। इस प्रयोजन के लिए दो विशिष्ट पात्रों का सृजन किया गया है - *राजू* जो बैंकिंग के बारे में सब कुछ सीखता है और *मनी कुमार* जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यवहार में लायी जाने वाली मौद्रिक नीति, बैंक विनियमावली और करेंसी नोटों जैसे विषयों को स्पष्ट करता है। इस साईट पर दो कॉमिक पुस्तिकाएं- *राजू और पैसों का पेड़* जो मूलभूत बैंकिंग को स्पष्ट करती है और *मनी कुमार और मौद्रिक नीति* ! जो आम व्यक्ति के लिए रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की भूमिका और प्रासंगिकता को स्पष्ट करती है, पहले से ही उपलब्ध हैं।

इस साईट पर विभिन्न मूल्यवर्गों के करेंसी नोटों की सुरक्षा विशिष्टताओं पर फिल्में हैं तथा नोटों को स्टेपल नहीं करने के लिए नागरिकों को समझाने हेतु एक शिक्षाप्रद फिल्म भी है। रोचक बात यह है कि इस साईट पर खेलों का खण्ड भी है। इस खण्ड का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना है। वर्तमान में प्रदर्शित किए गए खेल स्कूली बच्चों को भारत के विभिन्न करेंसी नोटों से परिचित कराने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।

यह साईट शीघ्र ही हिंदी के साथ-साथ 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी।

इस साईट पर www.rbi.org.in/financial_education अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की मुख्य वेबसाईट www.rbi.org.in के होम पेज पर उपलब्ध त्वरित लिंक से पहुंचा जा सकता है।

वेबसाईट में सुधार के लिए अपने अभिमत और प्रतिसूचना helpprd@rbi.org.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा : मुख्य-मुख्य बातें

डॉ वाइ वेणुगोपाल रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अक्तूबर 2007 को प्रमुख वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत की। मुख्य-मुख्य बातें निम्नप्रकार है :

रुझान

- नीतिगत प्रयोजनों के लिए वर्ष 2007-08 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि जैसे कि वार्षिक नीतिगत वक्तव्य अप्रैल 2007 में कही गयी है और पहली तिमाही समीक्षा में दोहरायी गयी है, 8.5 प्रतिशत रखी गयी।
- नीतिगत प्रयास होंगे वर्ष 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत तक सीमित रखना और आगे के लिए संकल्प होगा कि इन अपेक्षाओं को 4.0-4.5 प्रतिशत की सीमा में रखना ताकि मध्यावधि उद्देश्य 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर का होगा।
- शुद्ध पूंजी उपलब्धता के विस्तारक प्रभावों को सीमित रखना होगा ताकि मुद्रा आपूर्ति लगातार निर्देशक अनुमानों के अनुरूप बनी रहे।
- रिज़र्व बैंक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण के यथोचित प्रयोग और बाज़ार स्थिरीकरण योजना और चलनिधि समायोजन सुविधा सहित खुला बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) के द्वारा तथा जब कभी आवश्यकता हो तब उपलब्ध सभी नीतिगत लिखतों का प्रयोग करते हुए चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन करने की अपनी नीति को जारी रखेगा।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों को रोकते हुए और मुद्रा स्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए आनेवाले समय में मौद्रिक नीति का समग्र रूझान स्थूल रूप में निम्नानुसार बना रहेगा:
  - ऐसे मौद्रिक और ब्याज दर परिवेश को सुनिश्चित करते हुए जिससे अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग को समर्थन मिले मूल्य स्थिरता और सु-निर्धारित मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर बल देना फिर से लागू करना ताकि वृद्धि की गति जारी रह सके।
  - वित्तीय बाज़ारों में समष्टि आर्थिक तथा विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता करने के लिए अधिक ऋण व्यापन और वित्तीय समावेशन करते हुए ऋण गुणवत्ता और सही स्थितियों पर दुबारा जोर देना।
  - मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति को व्याप्त करनेवाली विकसित वैश्विक और घरेलू स्थिति पर तेजी से कार्रवाई के लिए सभी संभावित उपाय करना।
  - असामान्य रूप से बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता और वित्तीय बाजारों में गतिविधियों के प्रति अपारम्परिक नीति कार्रवाईयों की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास की गति को बनाए रखने के लिए सभी संभावित विकल्पों का सहारा लेने हेतु तत्पर रहना।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर, रिपो दर और प्रत्यावर्तनीय रिपो दर अपरिवर्तित रखे गए हैं।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत पूर्णत: या अंशत: रूप से निविदा (निविदाओं) को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के अधिकार सहित ओवर नाइट रिपो अथवा दीर्घावधि रिपो संचालित करने के लचीलेपन को बनाये रखा गया है।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 50 आधार बिन्दु से बढ़ाते हुए 10 नवंबर 2007 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से 7.5 प्रतिशत किया गया।

विकासात्मक और विनियात्मक नीतियाँ

- तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश अनुकूलन प्रणाली (एनडीएस-ओएम) प्रणाली के बाहर अनुमत 'अल्प-विक्रय' और 'जब जारी' लेनदेन शामिल किए गए।
- प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) को सहायक सामान्य खाता (सीएसजीएल) मार्ग संघटक का उपयोग करते हुए एनडीएस-ओएम में प्रवेश के लिए 'अर्हताप्राप्त संस्थाओं' के रूप में माना जाएगा।
- बचाव सुविधा के लिए पूर्व कार्यनिष्पादन मार्ग के अंतर्गत पात्र सीमाओं को पुन: लागू करने की अनुमति दी जाएगी।
- तेल कंपनियों को यह अनुमति दी गई कि वे अधिकतम अगले एक वर्ष तक समुद्रपारीय काउंटर पर(ओटीसी)/शेयर बाज़ार कारोबार व्युत्पन्नी का उपयोग करते हुए विदेशी शेयर बाज़ार निवेशों का बचाव करें।
- विदेशी मुद्रा निवेश रखनेवाले आयातकों और निर्यातकों को अनुमति दी गई कि वे विदेशी मुद्रा/रुपए और पारस्परिक लेनदेन की मुद्रा और दोनों में शामिल मांग और विक्रय विकल्प अभिलिखित करें और प्रिमियम प्राप्त करें।
- प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को अनुमति दी गई कि वे पारस्परिक लेनदेन मुद्रा विकल्प बहियों को रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन संचालित करें।
- प्राधिकृत व्यापारियों को अमरीकन विकल्पों को भी प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा मुख्य बैंकिंग समाधानों (सीबीएस) में अंतरण की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यदल का गठन किया जाएगा।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंक को उनके तुलन पत्रों में 31 मार्च 2008 तक की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित परिसंपत्ति के लिए पूंजी अनुपात (सीआरएआर) का प्रकटन करना।
- अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) आधारित समाधानों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) में परिकल्पित संरचना के अनुरूप समुद्रपारीय विनियामकों के साथ सीमा-पार पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया जाएगा।
- सामान्य बाज़ार जोखिम के अलावा विशिष्ट जोखिम विशेषत: दोषपूर्ण अभिलेखन अथवा निपटान जोखिम से उत्पन्न ऋण जोखिम को पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाए।
- मुंबई में केंद्रीकृत समाशोधन और निपटान के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनइसीएस) के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**